

न्यायालय- प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

प्रकरण क्रमांक 570 / 2016

संस्थापित दिनांक 16 / 09 / 2016

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियोजन

बनाम

1. सोनू राय पुत्र रामनिवास राय उम्र 21 साल  
निवासी वार्ड नं013 अहीर मोहल्ला गोहद  
जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियुक्त

---

(अपराध अंतर्गत धारा-457, 380 भा0द0सं0)  
(राज्य द्वारा एडीपीओ-श्रीमती हेमलता आर्य।)  
(आरोपी द्वारा अधिवक्ता-श्री हृदेश शुक्ला।)

---

::- नि र्ण य -::

(आज दिनांक 05.10.2017 को घोषित )

आरोपी पर दिनांक 18.09.15 के सुबह करीबन साढ़े चार बजे फरियादी राकेश अग्रवाल की दुकान अग्रवाल मिष्ठान भंडार सदर बाजार गोहद में सूर्योदय के पूर्व एवं सूर्यास्त के पश्चात चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रौ गृहभेदन कारित करने एवं उसी समय फरियादी राकेश अग्रवाल की दुकान से 4000/- रुपये नगद एवं एक मोबाइल कीमत 1500 रुपये फरियादी राकेश अग्रवाल की सहमति के बिना उसके आधिपत्य से बेईमानीपूर्ण आशय से ले जाकर चोरी कारित करने हेतु भा0द0सं0 की धारा 457 एवं 380 के अंतर्गत आरोप है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि फरियादी राकेश अग्रवाल की सदर बाजार गोहद में हलवाई की दुकान और मकान है घटना दिनांक 18.09.15 के सुबह करीबन साढ़े चार बजे दुकान में शटर खोलकर आरोपी सोनू द्वारा खटपट किया जा रहा था उसने दुकान में आकर देखा था कि उसका मोबाइल एवं उसकी गुल्लक में रखे चार हजार रुपये नहीं थे। दुकान में आने के

साथ ही सोनू भागा था तो उसने शोर मचाकर पड़ोसियों की मदद से आरोपी सोनू को घेरकर पकड़ा था आरोपी ने उसका मोबाइल पॉकेट में रखा था वह पड़ोसियों की मदद से आरोपी को पकड़कर थाना गोहद ले गया था एवं रिपोर्ट लिखाई थी। फरियादी की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 309 / 15 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया था साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे आरोपी को गिरफ्तार किया गया आरोपी से जप्ती की गई एवं विवेचनापूर्ण होने पर अभियोगपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3. उक्त अनुसार आरोपी के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए। आरोपी को आरोपित अपराध पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपी का अभिवाक अंकित किया गया।

4. द0प्र0सं0 की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपी ने कथन किया है कि वे निर्दोष हैं, उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।

5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुये हैं :-

1. क्या घटना दिनांक 18.09.15 के सुबह करीबन साढ़े चार बजे फरियादी राकेश अग्रवाल की दुकान अग्रवाल मिष्ठान भंडार सदर बाजार गोहद से उसके मोबाइल एवं 4000/- रुपये नगद की चोरी हुई?

2. क्या उक्त चोरी आरोपी और केवल आरोपी द्वारा ही कारित की गई?

3. क्या आरोपी ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी राकेश अग्रवाल की दुकान में सूर्योदय के पूर्व एवं सूर्योस्त के पश्चात चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रौ गृहभेदन कारित किया ?

6. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर से फरियादी राकेश अग्रवाल आ0सा01, ललित अग्रवाल आ0सा02, मुन्ना खटीक आ0सा03, आरक्षक रायसिंह आ0सा04 एवं प्रधान आरक्षक प्रमोद पावन आ0सा05 को परीक्षित कराया गया है, जबकि आरोपी की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

#### निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण

#### विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी राकेश अग्रवाल आ0सा0 1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना दिनांक 18.09.15 की सुबह 4-5 बजे की है। वह अपने मकान में नीचे हलवाई की दुकान

करता है तथा उपर वाली मंजिल में निवास करता है उसके भाई किशनलाल सुबह दुकान का शटर खोलकर घूमने जाते हैं और वह बाहर से बिना ताला डाले शटर डालकर चले जाते हैं। घटना वाले दिन वह अपने घर के उपर था तभी नीचे दुकान पर उसे खटपट की आवाज आई थी वह उतर कर नीचे आया था तो उसने देखा था कि आरोपी सोनू ने गल्ला खोलकर अपनी जेब में पैसे रख लिए थे। आरोपी के हाथ में उसका मोबाइल भी था उसने आरोपी को घेरकर पकड़ लिया था फिर वह उसे थाने ले गए थे। उसने घटना की रिपोर्ट लिखाई थी जो प्र०प फरियादी राकेश अग्रवाल अ०सा० 1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना दिनांक 18.09.15 की सुबह 4-5 बजे की है। वह अपने मकान में नीचे हलवाई की दुकान करता है तथा उपर वाली मंजिल में निवास करता है उसके भाई किशनलाल सुबह दुकान का शटर खोलकर घूमने जाते हैं और वह बाहर से बिना ताला डाले शटर डालकर चले जाते हैं। घटना वाले दिन वह अपने घर के उपर था तभी नीचे दुकान पर उसे खटपट की आवाज आई थी वह उतर कर नीचे आया था तो उसने देखा था कि आरोपी सोनू ने गल्ला खोलकर अपनी जेब में पैसे रख लिए थे। रिपोर्ट प्र०पी०१ है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। नक्शामौका प्र०पी०२ है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ललित अग्रवाल अ०सा०२ ने भी फरियादी राकेश अग्रवाल अ०सा०१ के कथन का समर्थन किया है एवं घटना दिनांक को दुकान से रुपये एवं मोबाइल चोरी होने बावत् प्रकटीकरण किया है। उक्त दोनों ही साक्षीगण का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त दोनों ही साक्षीगण का कथन फरियादी राकेश अग्रवाल की दुकान से मोबाइल एवं पैसे चोरी होने के बिंदु पर अखण्डनीय रहा है। प्र०पी०१ की प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी फरियादी राकेश अग्रवाल की दुकान से पैसे एवं मोबाइल चोरी होने का उल्लेख है इस प्रकार उक्त बिंदु पर फरियादी राकेश अग्रवाल अ०सा०१ का कथन प्र०पी०१ की प्रथम सूचना रिपोर्ट से भी पुष्ट रहा है प्रधान आरक्षक प्रमोद पावन अ०सा०५ ने भी फरियादी की सूचना पर प्र०पी०१ की रिपोर्ट लेखबद्ध करना बताया है आरोपी की ओर से उक्त तथ्यों के खंडन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है ऐसी स्थिति में उक्त बिंदु पर आई साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि घटना दिनांक को फरियादी राकेश अग्रवाल की दुकान से मोबाइल एवं पैसे की चोरी हुई थी।

#### विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2, एवं 3

8. साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

9. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में फरियादी राकेश अग्रवाल अ०सा०१ ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना दिनांक 18.09.15 की सुबह 4-5 बजे की है। वह अपने मकान में नीचे हलवाई की दुकान करता है तथा उपर वाली मंजिल में निवास करता है उसके भाई किशनलाल सुबह दुकान का शटर खोलकर घूमने जाते हैं और वह बाहर से बिना ताला डाले शटर

डालकर चले जाते हैं। घटना वाले दिन वह अपने घर के उपर था तभी नीचे दुकान पर उसे खटपट की आवाज आई थी वह उतर कर नीचे आया था तो उसने देखा था कि आरोपी सोनू ने गल्ला खोलकर अपनी जेब में पैसे रख लिए थे। उसने आवाज दी थी तो उसका भतीजा भी शोर सुनकर आ गया था शटर आधा खुला था तो उसमें से सोनू निकलकर भागा था उसके पीछे वह भी भागे थे और उसने सोनू को घेरकर पकड़ लिया था सोनू के हाथ में उसका मोबाइल भी था फिर वह सोनू को लेकर थाने गए थे उस समय पुलिस वालों ने उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी थी और उन्होंने कहा था कि स्टाफ नहीं है 9-10 बजे आना फिर वह 10 बजे थाने गया था और उसने रिपोर्ट लिखाई थी। रिपोर्ट प्र0पी01 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। नक्शामौका प्र0पी02 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके सामने सोनू के पेंट की जेब से सेमसंग कंपनी का मोबाइल निकालकर जप्त किया था जप्ती पंचनामा प्र0पी03 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि न्यायालय में उपस्थित सोनू राय ने ही उसके यहां चोरी की थी।

10. प्रतिपरीक्षण के पद क्र0 4 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि घटना दिनांक को वह 4-5 बजे के बीच जागा होगा वह जैसे ही जागा था उसने शोर सुना था और नीचे आ गया था नीचे कोई भीड़ भाड़ नहीं थी उस समय वह अकेला था। पद क्र0 5 में उक्त साक्षी का कहना है कि वह चिल्लाया था उसने चोर को पकड़ लिया था इसके बाद उसका भतीजा वहां आ गया था चोर को उसने दुकान में ही पकड़ लिया था जिस समय उसने चोर को पकड़ा था उस समय वह अकेला था चोर उससे छूट कर भाग गया था। पद क्र0 6 में उक्त साक्षी का कहना है कि उसने दुबारा 30-35 कदम की दूरी पर आरोपी को पकड़ लिया था उसने व उसके भतीजे ने आरोपी को पकड़ लिया था जब उसने चोर को पकड़ा था तो 4-5 बजे के बीच का समय था वह लोग सीधे चोर को थाने ले गए थे वह और उसका भतीजा मोटरसाइकिल पर गए थे एवं बीच में चोर को बिठा लिया था पांच मिनट के अंदर वह लोग थाने पहुंच गए थे। वह 4-5 बजे के मध्य ही चोर को थाने छोड़कर वापिस लौट आए थे। उसके व उसके भतीजे के अलावा उसके साथ और कोई थाने नहीं गया था। पद क्र0 9 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि चोर से पुलिस ने उसके सामने जेब से मोबाइल निकाला था किस समय निकाला था एवं किस पुलिस वाले ने निकाला था वह यह नहीं बता सकता है।

11. साक्षी ललित अग्रवाल अ0सा02 ने भी फरियादी राकेश अग्रवाल अ0सा01 के कथन का समर्थन किया है एवं घटना दिनांक को आरोपी सोनू द्वारा दुकान से रुपये एवं मोबाइल चोरी करने बावत् प्रकटीकरण किया है। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि आरोपी सोनू को मौके पर ही पकड़ लिया गया था मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए थे फिर वह सोनू को लेकर थाने गए थे वहां उसकी जेब से मोबाइल बरामद हुआ था पुलिस ने उसके सामने आरोपी सोनू से मोबाइल जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी03 बनाया था जिसके बी से बी भाग पर

उसके हस्ताक्षर हैं।

12. प्रधान आरक्षक प्रमोद पावन अ0सा05 जो कि जप्तीकर्ता है ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि उसने फरियादी राकेश अग्रवाल की सूचना पर आरोपी के विरुद्ध प्र0पी01 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं उक्त दिनांक को ही आरोपी से थाना परिसर गोहद में उसकी पेंट की जेब से सेमसंग कंपनी का मोबाइल मिला था जिसे जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी03 बनाया था जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसने आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी04 बनाया था जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं उक्त दिनांक को ही उसने आरोपी से पूछताछ कर मेमोरेण्डम प्र0पी05 बनाया था जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि उसने दिनांक 21.07.16 को फरियादी राकेश अग्रवाल से मोबाइल की पहचान कराकर शिनाख्ती पंचनामा प्र0पी06 बनाया था जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण के पद क्र0 3में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि फरियादी राकेश अग्रवाल के साथ में रिपोर्ट करने के लिए 4-5 लोग आए थे जो उनके पड़ोसी थे जिनके नाम वह नहीं जानता है। फरियादी व उसके साथीगण सुबह साढ़े दस बजे प्रथम बार रिपोर्ट करने आए थे।

13. साक्षी मुन्ना खटीक अ0सा03 ने भी अपने कथन में व्यक्त किया है कि आरोपी सोनू को दिनांक 18.09.15 को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी04 बनाया गया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि पुलिस ने उसके सामने पूछताछ कर प्र0पी05 का मेमोरेण्डम बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

14. साक्षी रायसिंह अ0सा04 ने भी अपने कथन में प्रधान आरक्षक प्रमोद पावन अ0सा05 के कथन का समर्थन किया है तथा गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी04 एवं मेमोरेण्डम प्र0पी05 के क्रमशः बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर होने बावत प्रकटीकरण किया है।

15. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के कथन अपने परीक्षण के दौरान परस्पर विरोधाभासी रहे हैं। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।

16. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी राकेश अग्रवाल अ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह व्यक्त किया है कि घटना वाले दिन उसका भाई किशनलाल सुबह 4-5 बजे दुकान का शटर खोलकर घूमने गया था वह अपने घर के उपर था तभी उसे नीचे दुकान के शटर पर खटपट की आवाज आई थी वह उतरकर नीचे आया था तो उसने आरोपी सोनू को गल्ला खोलकर अपनी जेब में पैसे रखते हुए देखा था आरोपी के हाथ में उसका मोबाइल भी था उसने आवाज लगाकर अपने भतीजे को भी बुला लिया था फिर वह लोग सोनू को पकड़कर थाने

ले गए थे। इस प्रकार फरियादी राकेश अग्रवाल अ0सा01 द्वारा यह व्यक्त किया गया गया है कि उसने आरोपी सोनू को मौके पर ही पकड़ लिया था एवं वह और उसका भतीजा ललित कुमार सोनू को लेकर स्वयं थाने गए थे। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी बताया है कि आरोपी उनसे छूट कर भागा था तो उसने 30-35 कदम की दूरी पर आरोपी को दुबारा पकड़ लिया था फिर वह और उसका भतीजा आरोपी को मोटरसाइकिल पर बिठाकर थाने ले गए थे। फरियादी राकेश अग्रवाल अ0सा01 द्वारा यह बताया गया है कि वह और उसका भतीजा ललित कुमार आरोपी को लेकर थाने गए थे जबकि प्रधान आरक्षक प्रमोद पावन अ0सा05 जो कि प्रकरण का विवेचक है ने अपने कथन में यह बताया है कि फरियादी राकेश के साथ रिपोर्ट करने के लिए 4-5 लोग आए थे इस प्रकार उक्त बिंदु पर फरियादी राकेश अग्रवाल अ0सा01 एवं प्रमोद पावन अ0सा05 के कथन परस्पर किंचित विरोधाभाषी रहे हैं परंतु उक्त विरोधाभाष इतना तात्विक नहीं है जिससे संपूर्ण अभियोजन घटना पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो।

17. फरियादी राकेश अग्रवाल अ0सा01 ने अपने कथन में यह बताया है कि वह सुबह 4-5 बजे ही आरोपी को लेकर थाने गए थे परंतु पुलिस वालों ने उस समय उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी थी वह आरोपी को थाने छोड़कर वापिस आ गए थे फिर वह दस बजे थाने गया था तब उसने घटना की रिपोर्ट लिखाई थी। साक्षी ललित अग्रवाल अ0सा02 ने भी अपने कथन में यह बताया है कि वह पौने पांच बजे थाने पहुंच गए थे एवं चोर को पुलिस को सौंपकर वापिस आ गए थे जबकि प्रधान आरक्षक प्रमोद पावन अ0सा05 का कहना है कि फरियादी व उसके साथीगण सुबह साढ़े दस बजे रिपोर्ट करने आए थे एवं उसने फरियादी के थाने पर पहुंचते ही घटना की रिपोर्ट लिख ली थी। इस प्रकार उक्त बिंदु पर भी फरियादी राकेश अग्रवाल अ0सा01 ललित अग्रवाल अ0सा02 एवं प्रमोद पावन अ0सा05 के कथन परस्पर विरोधाभाषी रहे हैं परंतु यहां यह भी उल्लेखनीय है कि फरियादी राकेश अग्रवाल अ0सा01 एवं ललित अग्रवाल अ0सा02 ने आरोपी को चोरी करते हुए मौके पर पकड़ लेना बताया है। प्रमोद पावन अ0सा05 ने भी अपने कथन में यह बताया है कि फरियादी आरोपी को थाने लेकर आए थे यद्यपि समय के संबंध में फरियादीगण एवं विवेचक के कथनों में किंचित विरोधाभाष है परंतु उक्त विरोधाभाष इतना तात्विक नहीं है जिसके आधार पर संपूर्ण अभियोजन घटना को ही संदेहास्पद माना जाए।

18. फरियादी राकेश अग्रवाल अ0सा01 ने अपने कथन में स्पष्ट रूप से यह बताया है कि उसने मौके पर आरोपी सोनू को रुपये चुराते एवं मोबाइल चुराते हुए पकड़ लिया था। साक्षी ललित अग्रवाल अ0सा02 द्वारा भी फरियादी राकेश अग्रवाल अ0सा01 के कथन का पूर्णतः समर्थन किया गया है एवं व्यक्त किया गया है कि उसने मौके पर चोरी करते हुए सोनू को पकड़ लिया था। उक्त दोनों ही साक्षीगण का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त दोनों ही साक्षीगण के कथन तुल्य विसंगतियों को छोड़कर तात्विक विरोधाभाषों से परे रहे हैं। जहां तक साक्षी मुन्ना खटीक अ0सा03

एवं राय सिंह अ0सा04 के कथन का प्रश्न है तो मुन्ना खटीक अ0सा03 एवं रायसिंह अ0सा04 ने अपने कथन में यह बताया है कि पुलिस ने उनके सामने आरोपी को गिरफ्तार किया था एवं आरोपी से पूछताछ कर प्र0पी05 का मेमोरेण्डम बनाया था जहां तक प्र0पी05 के मेमोरेण्डम का प्रश्न है कि वहां यह उल्लेखनीय है कि प्र0पी05 के मेमोरेण्डम के अनुसरण में आरोपी से कोई जप्ती नहीं हुई है ऐसी स्थिति में प्र0पी05 के मेमोरेण्डम का कोई औचित्य नहीं है।

19. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा तर्क के दौरान यह व्यक्त किया गया है कि फरियादी द्वारा सोनू को सुबह दस बजे बाजार में पकड़ लिया गया था एवं फिर वह उसे थाने ले गए थे परंतु उक्त लिए गए बचाव के संबंध में कोई साक्ष्य आरोपी द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। फरियादी राकेश अग्रवाल अ0सा01 द्वारा भी उक्त तथ्य से इंकार किया गया है ऐसी स्थिति में उक्त लिए गए बचाव से आरोपी को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

20. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि फरियादी द्वारा रंजिशन आरोपी को प्रकरण में झूठा फंसाया गया है परन्तु बचाव पक्ष की ओर से उक्त लिए गए बचाव के संबंध में भी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गयी है प्रकरण में आई साक्ष्य से फरियादी एवं आरोपी के मध्य रंजिशन होना दर्शित नहीं है ऐसी स्थिति में उक्त तर्क से भी आरोपी को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

21. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा तर्क के दौरान यह भी व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में शिनाख्ती कार्यवाही नहीं कराई गई है अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है परंतु बचाव पक्ष अधिवक्ता का यह तर्क भी स्वीकार योग्य नहीं है यद्यपि प्रकरण में विधिवत शिनाख्ती कार्यवाही नहीं कराई गई है परंतु फरियादी राकेश अग्रवाल अ0सा01 ने अपने कथन में आरोपी को मौके पर उसका सेमसंग कंपनी का मोबाइल चोरी करते हुए पकड़ लेना बताया है एवं आरोपी से सेमसंग कंपनी का मोबाइल जप्त हुआ है आरोपी का ऐसा कहना नहीं है कि उक्त मोबाइल उसका है। आरोपी को चोरी करते हुए मौके पर पकड़ा गया है ऐसी स्थिति में मात्र शिनाख्ती कार्यवाही विधिवत न होने से प्रकरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है।

22. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी राकेश अग्रवाल अ0सा01 ने अपने कथन में स्पष्ट रूप से यह बताया है कि उसने आरोपी को मौके पर चोरी करते हुए पकड़ लिया था तथा यह भी बताया है कि पुलिस ने उसके सामने आरोपी से उसका सेमसंग कंपनी का मोबाइल जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी03 बनाया था यद्यपि प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि किस पुलिस वाले ने आरोपी की जेब से मोबाइल निकाला था वह नहीं बता सकता है परंतु मात्र उक्त आधार पर फरियादी के कथनों को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। फरियादी राकेश अग्रवाल अ0सा01 एवं ललित अग्रवाल अ0सा02 ने अपने कथन में आरोपी द्वारा सेमसंग मोबाइल चोरी करना एवं आरोपी को मौके पर



ही पकड़ लेना बताया है। प्रधान आरक्षक प्रमोद पावन अ0सा05 ने भी फरियादी राकेश अग्रवाल अ0सा01 एवं ललित अग्रवाल अ0सा02 के कथन का समर्थन किया है एवं व्यक्त किया है कि फरियादीगण ही आरोपी को पकड़कर थाने लाए थे इस प्रकार उक्त बिंदु पर फरियादी राकेश अग्रवाल अ0सा01 एवं ललित अग्रवाल अ0सा02 के कथन की पुष्टि प्रमोद पावन अ0सा05 द्वारा भी की गई है। प्र0पी03 के जप्ती पंचनामे में भी आरोपी सोनू राय से फरियादी राकेश अग्रवाल एवं ललित अग्रवाल के समक्ष थाना परिसर गोहद में सेमसंग कंपनी का मोबाइल जप्त होने का उल्लेख है इस प्रकार उक्त बिंदु पर फरियादी राकेश अग्रवाल अ0सा01 एवं ललित अग्रवाल अ0सा02 के कथन जप्ती पंचनामा प्र0पी03 से भी पुष्ट रहे हैं। फरियादी द्वारा प्र0पी01 की प्रथम सूचना रिपोर्ट आरोपी के विरुद्ध की गई है। फरियादी राकेश अग्रवाल अ0सा01 के कथन प्र0पी01 की प्रथम सूचना रिपोर्ट से भी पुष्ट रहे हैं। प्रकरण में आरोपी से सेमसंग कंपनी का मोबाइल जप्त होना प्रमाणित है। आरोपी द्वारा उक्त तथ्यों के खण्डन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। आरोपी द्वारा यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि फरियादी का सेमसंग कंपनी का मोबाइल आरोपी के पास किस प्रकार आया आरोपी द्वारा उक्त संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। ऐसी स्थिति में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के खण्ड एक की उपधारणा आरोपी के संबंध में लागू होती है। उक्त उपधारणा के अनुसार “चुराये हुए माल पर जिस मनुष्य का चोरी के शीघ्र उपरांत कब्जा है जब तक कि वह अपने कब्जे का कारण न बता सके या तो वह चोर है या उसने माल को चुराया हुआ जानते हुए प्राप्त किया है।”

23. प्रस्तुत प्रकरण में आरोपी से सेमसंग कंपनी का मोबाइल जप्त होना प्रमाणित है। आरोपी द्वारा मोबाइल उसके कब्जे में होने का कोई कारण नहीं बताया गया है। ऐसी स्थिति में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के खण्ड एक की उपधारणा आरोपी के विरुद्ध लागू होती है एवं यही उपधारणा की जाती है कि आरोपी ने सेमसंग कंपनी का मोबाइल फरियादी राकेश अग्रवाल की दुकान से घटना दिनांक को चोरी किए थे।

24. इस प्रकार उपरोक्त चरणों में की गई विवेचना से संदेह से परे यह प्रमाणित होता है कि आरोपी ने घटना दिनांक को फरियादी राकेश अग्रवाल के आधिपत्य से उसके मोबाइल की चोरी की थी। जहां तक आरोपी द्वारा रात्रोगृह भेदन कारित करने का प्रश्न है तो वहां यह उल्लेखनीय है कि अभियोजन कहानी के अनुसार आरोपी ने फरियादी राकेश अग्रवाल की दुकान में सूर्योदय के पूर्व एवं सूर्यास्त के पश्चात घुसकर मोबाइल की चोरी की थी। आरोपी से मोबाइल जप्त होना प्रमाणित है। फरियादी राकेश अग्रवाल अ0सा01 एवं ललित अग्रवाल अ0सा02 के कथनों से यह भी प्रमाणित है कि उन्होंने घटना दिनांक को आरोपी को अपनी दुकान में चोरी करते हुए पकड़ा था। ऐसी स्थिति में प्रकरण में आई साक्ष्य से यह भी प्रमाणित पाया जाता है कि आरोपी ने घटना दिनांक को फरियादी राकेश अग्रवाल की दुकान में सूर्योदय के पूर्व एवं सूर्यास्त के पश्चात चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रोगृह भेदन कारित किया।



25. फलतः उपरोक्त चरणों में की गयी विवेचना से अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 18.09.15 के सुबह करीबन साढ़े चार बजे फरियादी राकेश अग्रवाल की दुकान अग्रवाल मिष्ठान भंडार सदर बाजार गोहद में सूर्योदय के पूर्व एवं सूर्यास्त के पश्चात चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रौ गृहभेदन कारित किया एवं उसी समय फरियादी राकेश अग्रवाल की दुकान से एक मोबाइल कीमत 1500 रुपये फरियादी राकेश अग्रवाल की सहमति के बिना उसके आधिपत्य से बेईमानीपूर्ण आशय से ले जाकर चोरी कारित की। फलतः यह न्यायालय आरोपी सोनू राय को भा0द0सं0 की धारा 457, एवं 380 के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए दोषसिद्ध करती है।

26. सजा के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय लिखाया जाना अस्थायी रूप से स्थगित किया गया।

सही /—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

### पुनश्च:—

27. आरोपी एवं उसके विद्वान अधिवक्ता को सजा के प्रश्न पर सुना गया आरोपी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया कि आरोपी का यह प्रथम अपराध है। आरोपी ने नियमित रूप से विचारण का सामना किया है। अतः आरोपी को कम से कम दण्ड से दण्डित किया जावे।

28. आरोपी अधिवक्ता के तर्क पर विचार किया गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि अभियोजन द्वारा आरोपी के विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है आरोपी द्वारा नियमित रूप से विचारण का सामना किया गया है परन्तु आरोपी द्वारा फरियादी राकेश अग्रवाल की दुकान में घुसकर चोरी की गई है ऐसी स्थिति में आरोपी को शिक्षाप्रद दण्ड से दण्डित किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। फलतः यह न्यायालय आरोपी सोनू राय को भा0द0सं0 की धारा 457 के अंतर्गत एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपये के अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड की राशि में व्यतिक्रम होने पर एक माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास एवं भा0द0सं0 की धारा 380 के अंतर्गत एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपये के अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड की राशि में व्यतिक्रम होने पर एक माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास के दंड से दंडित करती है।

29. कारावास की सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

30. आरोपी पूर्व से जमानत पर है। उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किए जाते हैं।

31. प्रकरण में जप्तशुदा मोबाइल अपील अवधि पश्चात फरियादी को वापिस किया जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

32. आरोपी जितनी अवधि के लिये न्यायिक निरोध में रहा है उसके संबंध में धारा 428 के अंतर्गत ज्ञापन तैयार किया जावे। आरोपी द्वारा न्यायिक निरोध में बिताई गई अवधि उनकी सारवान सजा में समायोजित की जावे। आरोपी इस प्रकरण में दिनांक 21.07.16 से दिनांक 14.10.16 तक न्यायिक निरोध में रहा है।

तदनुसार सजा वारण्ट बनाया जावे।

स्थान – गोहद

दिनांक – 05.10.2017

निर्णय आज दिनांकित एवं  
हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय  
में घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया।

सही / –  
(प्रतिष्ठा अवस्थी)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

सही / –  
(प्रतिष्ठा अवस्थी)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)